कार्यालय : आशुलिपिक ग्रेड–द्वितीय पदोन्नति परीक्षा कमेटी, 2019
जिला न्यायालय, जोधपुर महानगर।

क्रमांक : 1 दिनांक : 11–3–2019

–: सूचना :–

माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जोधपुर महानगर ने अपने कार्यालय आदेश संख्या 142 दिनांक 8–3–2019 के द्वारा इस कमेटी का गठन करते हुए इस न्यायक्षेत्र में आशुलिपिक ग्रेड–द्वितीय (Stenographer Grade-II) के रिक्त पदों पर पदोन्नति हेतु नियमानुसार परीक्षा लेने का निर्देश दिया है। अतः आशुलिपिक ग्रेड–द्वितीय के रिक्त पदों पर पदोन्नति हेतु राजस्थान जिला न्यायालय लिपिकवर्गीय संस्थापन्न नियम, 1986 (यथा अद्यतन संशोधित) के प्रावधानों के अन्तर्गत, जोधपुर महानगर न्यायक्षेत्र में स्थित अधीनस्थ न्यायालयों में वर्तमान में कार्यरत विद्यमान आशुलिपिक ग्रेड–तृतीय (Stenographer Grade-III) में से, पदोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु पात्र अभ्यर्थियों की हिन्दी आशुलिपि श्रुतिलेख गति परीक्षा ली जायेगी, जिसके लिये आवेदन पत्र आमन्त्रित किये जाते हैं।

इच्छुक अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र, इस सूचना के साथ संलग्न प्रारूप में, **दिनांक 14–3–2019** तक आवश्यक रूप से इस कार्यालय में प्राप्त हो जाने चाहिये। आवेदन पत्र सम्बन्धित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से अग्रेषित करवा कर प्रेषित किये जायें। आवेदन पत्र पर स्वयं का पासपोर्ट साईज का नवीनतम फोटो लगायें तथा राजपत्रित अधिकारी से अभिप्रमाणित करवायें।

(1)- **पात्रता** :–

1– आशुलिपिक ग्रेड–द्वितीय के पद पर पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिये आवेदक को जोधपुर महानगर न्यायक्षेत्र में किसी अधीनस्थ न्यायालय में आशुलिपिक ग्रेड–तृतीय के पद पर कार्यरत होना चाहिये। ऐसा अभ्यर्थी (आशुलिपिक ग्रेड–तृतीय) परिवीक्षाधीन नहीं होना चाहिये, न ही तदर्थ आधार पर नियुक्त होना चाहिये।

2– राजस्थान जिला न्यायालय लिपिकवर्गीय संस्थापन्न नियम, 1986 के **नियम 14A** के अनुसार "**Disqualification for promotion :-** A Government Servant shall be disqualified for promotion for three recruitment years from the date his promotion becomes due after commencement of these rules, if he has more than two children.

Provided that if a Government servant had single child on

the date of commencement of these rules but more than one child are born in a single subsequent delivery, the children so born shall be treated as one while counting the total number of children.

Provided further that for purpose of this rule birth of a child within 280 days from the date of commencement of these rules shall not constitute disqualification.

Provided also that while counting the total number of children of a candidate , the child born from earlier delivery and having disability shall not be counted.

Provided also that any candidate who performed remarriage which is not against any law and before such remarriage he is not disqualified for promotion under this sub-rule, he shall not be disqualified if any child is born out of single delivery from such remarriage.

इस सम्बन्ध में आवेदक को आवेदन पत्र के साथ संलग्न प्रारूप में, 50/– रूपये के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पर एक शपथ पत्र (नोटेरी द्वारा नियमानुसार सत्यापित किया हुआ हो) आवेदन के साथ प्रेषित करना होगा।

(2)- **परीक्षा** :–

अभ्यर्थियों की **हिन्दी आशुलिपि श्रुतिलेख गति परीक्षा 75 शब्द प्रति मिनट की गति से** ली जायेगी। आशुलिपि परीक्षा हेतु आवेदक को पेन्सिल तथा पेन साथ में लाना होगा तथा श्रुतिलेख को हाथ से लिख कर लिप्यान्तरित (ट्रांसक्रिप्ट) करना होगा। आशुलिपिक की नोट बुक व उत्तरपुस्तिका इस कार्यालय द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी। आशुलिपि की श्रुतिलेख गति परीक्षा **दिनांक 17–3–2019 (रविवार) को प्रातः 11 बजे**, वैकल्पिक विवाद निस्तारण केन्द्र (A.D.R. Centre), जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जोधपुर महानगर, में स्थित हॉल में होगी।

अभ्यर्थियों की सूची व रोल नम्बर इत्यादि की सूचना जिला एवं सेशन न्यायालय, जोधपुर महानगर के सूचना पट्ट पर **दिनांक 16–3–2019** को लगा दी जायेगी। अतः अभ्यर्थी इस सम्बन्ध में परीक्षा प्रारम्भ होने से पूर्व जानकारी प्राप्त कर लें। पृथक से किसी प्रकार की सूचना प्रेषित नहीं की जायेगी।

(3)- **अन्य** :–

परीक्षा का परिणाम बन्द लिफाफे में माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जोधपुर महानगर को प्रेषित किया जायेगा।

अभ्यर्थी को श्रुतिलेख परीक्षा में भाग लेने के लिये इस कार्यालय द्वारा किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

अपरिहार्य कारणों से परीक्षा निरस्त करने अथवा परीक्षा कार्यक्रम संशोधित/परिवर्तित करने का अधिकार श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जोधपुर महानगर का रहेगा।

यह सूचना न्यायालय की वेबसाईट **http://districts.ecourts.gov.in/jodhpurmetro** व माननीय जिला एवं सेशन न्यायालय, जोधपुर महानगर के सूचना पट्ट पर देखी जा सकती है।

अध्यक्ष
आशुलिपिक ग्रेड–द्वितीय पदोन्नति परीक्षा कमेटी, 2019
जिला न्यायालय, जोधपुर महानगर।

क्रमांक : 20-69-20 दिनांक : 11–3–2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1– श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जोधपुर महानगर।
2– सूचना पट्ट, जिला एवं सेशन न्यायालय, जोधपुर महानगर।
3– पूर्णकालिक सचिव, वैकल्पिक विवाद निस्तारण केन्द्र, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जोधपुर महानगर।
4– ....
5– सिस्टम आफिसर, जिला न्यायालय, जोधपुर महानगर।
6– कार्यालय प्रति।

अध्यक्ष
आशुलिपिक ग्रेड–द्वितीय पदोन्नति परीक्षा कमेटी, 2019
जिला न्यायालय, जोधपुर महानगर।

आशुलिपिक ग्रेड–द्वितीय के पद पर चयन हेतु आवेदन पत्र

फोटोग्राफ

1– नाम :

2– पिता का नाम :

3– शैक्षणिक योग्यता :

4– वर्तमान पदस्थापित न्यायालय का नाम :

5– सेवा में प्रथम नियुक्ति की तिथि (अंकों व शब्दों में) :

6– वर्तमान पद पर स्थाई अथवा अस्थाई :

8– सन्तानों की संख्या तथा उनकी जन्म–तिथि :

हस्ताक्षर अभ्यर्थी

क्रमांक : दिनांक :

इस कार्यालय में आशुलिपिक ग्रेड–तृतीय के पद पर कार्यरत उक्त कर्मचारी का आवेदन पत्र आशुलिपिक ग्रेड–द्वितीय पदोन्नति परीक्षा कमेटी 2019, जिला न्यायालय, जोधपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रप्रेषित किया जाता है।

हस्ताक्षर व मोहर

प्रारूप

–: शपथ पत्र :–

मैं .... पुत्र/पुत्री श्री .... निवासी .... यह शपथपूर्वक कथन करता/करती हूं कि दिनांक 6–7–2010 के पश्चात् मेरी तीसरी सन्तान उत्पन्न नहीं हुई है।

या

मैं .... पुत्र/पुत्री श्री .... निवासी .... यह शपथपूर्वक कथन करता/करती हूं कि मैं अविवाहित हूं।

हस्ताक्षर शपथकर्त्ता

<u>सत्यापन</u> :– मैं, ... पुत्र/पुत्री .... निवासी .... आज बमुकाम जोधपुर में शपथपूर्वक सत्यापित करता/करती हूं कि उक्त शपथ पत्र में वर्णित तमाम तथ्य मेरे निजी ज्ञान से सही व सत्य हैं, इसका कोई भाग गलत नहीं है, न ही कुछ भी छुपाया गया है।

दिनांक :

स्थान :

हस्ताक्षर